(649)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, कटघोरा, जिला-कोरबा (छ.ग

रा.प्र.क्र.7 अ-82/2002-
ग्राम-रतीजा, तहसील-पाली

:: <u>अवार्ड प्रतिवेदन</u> ::
दिनांक 18.11.2005

प्रबंधक एस.टी.सी.एल.आई. कोलवासरी रतीजा द्वारा ग्राम रतीजा प.ह.नं.14, रा.नि. उरगाबाजार की भूमि कुल रकबा 169.80 एकड़ भूमि की मांग कम्पनी के विद्युत संयंत्र लग हेतु भू-अर्जन अधिनियम अंतर्गत की गई ।

म.प्र.शासन भोपाल के पत्र क्र.एफ/8-3/7/90-91 भोपाल दिनांक 2.7.91 के अनुस 10 % अनुमानित सेवा शुल्क की राशि जमा किये जाने हेतु आवेदित संस्था को ज्ञापन जारी कि गया । आवेदित संस्था के द्वारा 10 % अनुमानित सेवा शुल्क की राशि 20,63,300=00 रू जमा किया गया है, जिसे चालान क्रमांक 1/1 दिनांक 1.10.2002 के द्वारा खजाने में ज कराया गया है ।

प्रकरण में छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग रायपुर के पत्र क्र. एफ-7-4/2002/राजस्व/राय दिनांक 13.5.2002 के द्वारा ग्राम रतीजा स्थित भूमि कुल रकबा 169.80 एकड़ को अर्जन हे अनिवार्य भू-अर्जन की धारा 17(1) के अन्तर्गत अनुमति प्रदान की गई है ।

भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4(1) के अंतर्गत अधिसूचना का प्रकाश छत्तीसगढ़ राजपत्र में दिनांक 11.2.2005 तथा दैनिक समाचार पत्र राष्ट्रीय विजय मेल में दिनां 13.2.2005 को तरूण छत्तीसगढ़ में दिनांक 14.2.2005 को प्रकाशित कराया गया, तथा ग्रा में दिनांक 23.12.2005 को प्रकाशन कराया गया ।

भू-अर्जन अधिनियम धारा-5 के तहत सुनवाई हेतु कृषक गण को आहूत किया गया सभी कृषकगण उपस्थित हुये उनके द्वारा लिखित रुप से आपत्ति प्रस्तुत किया गया, आपत्ति आवेदन में नौकरी, स्कूल, स्वास्थ्य, पानी की सुविधा का मांग की गई । प्रस्तुत आपत्ति/मां के संबंध में संबंधित संस्था से जानकारी ली गई । कम्पनी द्वारा सभी मांगो को पूरा करने हे लिखित में सहमति दी गई ।

प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम की धारा-6 के अधिसूचना का प्रकाशन छत्तीसग राजपत्र में दिनांक 22.4.05 तथा समाचार पत्र तरूण छत्तीसगढ़ में 24.4.05 तथा कर्णप्रिय दिनांक 24.4.05 को एवं ग्राम में दिनांक 25.5.2005 में प्रकाशित कराया गया ।

18/11/05

प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम की धारा 9(3) के तहत् प्रभावित व्यक्तियों को व्यक्तिश सूचना जारी की गई । जिसमें सरपंच एवं ग्रामीणजन उपस्थित होकर आवेदन पेश किए, आवेदन पत्र पर एस.टी.सी.एल.आई. द्वारा सभी बिन्दुओं पर सहमति दी गई ।

प्रकरण में हल्का पटवारी से भू-अर्जन अधिनियम की धारा 23(1) के अंतर्गत बिक्रीछांट पत्रक धारा 4(1) के प्रकाशन दिनांक से ठीक 1 वर्ष पूर्व का तैयार कराया गया । हल्का पटवारी द्वारा तैयार कर प्रस्तुत किये गये बिक्री छांट एवं गणना पत्रक के अनुसार बिक्रीछांट अनुसार रारह लगान अनुसार एवं गाईड लाईन के अनुसार प्राप्त होने वाले औसत मूल्य से अधिकतम औसत मूल्य से किस्म जमीन अनुसार निर्धारित किया गया, जो निम्नानुसार है :-

(651)

क्रमांक	भूमि किस्म	सिंचित भूमि प्रति एकड़	असिंचित भूमि प्रति एकड़
1. बिक्रीछांट वर्ष 2002-03 से वर्ष 2004-05 तक	बहरा मटासी टिकरा	- - -	98900=00 91800=00 105000=0(
2. गाईड लाईन वर्ष 2004-05 के अनुसार	बहरा मटासी टिकरा	182000=00 180600=00 -	121300=0(120400=0(120000=0(

"उपरोक्त में से क्र.2 के भूमि का मूल्य अधिक होने से अर्जित की जाने वाली निर भूमि ग्राम रतीजा का मुआवजा पत्रक तैयार कराया गया ।

प्रकरण में हल्का पटवारी राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार से भू-अर्जन पत्रक । तैयार कराया गया । अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल खसरा नं.482 कुल रकबा 169.8 एकड़ होता है ।

प्रकरण में भू-अर्जन पत्रक 13 गाइड लाईन के अनुसार तैयार कराया गया, जिस खातेदारों का नाम, खसरा नं. अर्जित रकबा,भूमि का मुआवजा राशि, तोषण राशि 30% एवं धारा-प्रकाशन की तिथि से 12% वार्षिक ब्याज की राशि सम्मिलित करते हुये कुल मुआवजा राशि व पत्रक तैयार कराया गया, जिसके अनुसार कुल खातेदार 304 कुल खसरा नं. 482 कुल रकब 169.80 एकड़ का कुल भूमि का मुआवजा राशि 21184041=00 रूपये कुल तोषण राशि 30%, 6355212=00 रूपये कुल ब्याज की राशि 2542085=00रूपये कुल योग राशि 30081338=00रूपये होता है ।

भू-अर्जन पत्रक 17 कास्तकारी भूमि के अतिरिक्त अन्य सम्पत्तियों का मुआवजा राशि का देयक पत्रक तैयार कराया गया । जिसके अनुसार कुल खातेदार 304 कुल खसरा नं. 48: कुल रकबा 169.80 का अर्जित की जाने वाली भूमि पर स्थित कुल 2481वृक्षों की राशि 2827420 =00 रू. कुल तोषण राशि 848226=00 कुल ब्याज राशि 339290=00 तथ कुल योग राशि 4014936=00 रूपये होता है ।

18/11/05

भू-अर्जन पत्रक 18 तैयार कराया गया, जिसमें ट्यूब वेल, मकान, कुंआ आदि प सम्पतियों को दर्शित किया जाता है, प्रस्तावित अर्जित की जाने वाली भूमि में किसी प्रकार की प सम्पत्ति आदि नहीं है । पत्रक 18 से पत्रक 13 के अनुसार भूमि का कुल मुआवजा राशि 30081338=00 रूपये पत्रक 17 की वृक्षों की कुल मुआवजा राशि 4014936=00 रूपये पत्रक 18 की कालम 8 का परि सम्पत्तियों की राशि निरंक तथा भूमि व वृक्षों की मुआवज योग राशि 34096274=00 रूपये होता है, परिगणित किया गया है ।

भू-अर्जन अधिनियम के तहत् पत्रक 22 मुआवजा देयक का पत्रक भुगतान हेतु निर्धारित प्रपत्र में तैयार कराया गया, जिसके अनुसार कुल खातेदार 304 कुल खसरा नं.482 कुल रकबा 169.80 एकड़ का कुल मुआवजा राशि 34096274=00 (तीन करोड़ चालिस लाख छियान्बे हजार दो सौ चौहत्तर) रूपये होता है ।"

653

तदनुसार मुआवजा राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

कुल खातेदार	कुल ख.नं.	कुल अर्जित रकबा	भूमि का मुआवजा	वृक्षों का मुआवजा	तोषण राशि 30%	ब्याज राशि 12%	योग राशि
304	482	169.80	21184041=00	2827420=00	7203438=00	2881375=00	3,40,96,27

बिक्री छांट एवं गाइड लाईन में अधिकतम मूल्य गाइड लाईन का है, जिसके
पर किस्म भूमि अनुसार मुआवजा निर्धारित किया गया है ।

अतः भू-अर्जन अधिनियम 1994 की धारा 11 के अंतर्गत ग्राम रतीजा, की निजी कुल खातेदार 304 कुल खसरा नं. 482 कुल अर्जित रकबा 169.80 एकड़ भूमि की मुआवजा राशि 3,40,96,274=00 (तीन करोड़ चालिस लाख छियान्बे हजार दो सौ चौहत रूपये परिगणित किया जाकर एवार्ड प्रतिवेदन अनुमोदन हेतु प्रकरण कलेक्टर, महोदय कोरबा सादर प्रेषित ।

19/11/05

भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी,
कटघोरा
जिला कोरबा (छ.ग.)

कलेक्टर 9.1.06
कोरबा एवं पदेन उप सचिव
राजस्व विभाग